न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
अतिक्रमण अपीलवाद संख्या–50 / 2015
संगीता देवी एवं अन्य –बनाम– बिहार सरकार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
20/6/18	**आदेश** उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत भूमि अतिक्रमण अपीलवाद अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा के अतिक्रमण वाद सं0–03 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2014 के विरूद्ध दायर किया गया है। सामान्य अनुक्रम में वाद प्रतिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गयी। तत्पश्चात् अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा से अभिलेख संख्या–03 / 2014–15 प्राप्त है तथा अभिलेख पर संधारित है। अपीलकर्त्ताओं की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि लोक भूमि का उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, बल्कि वे रैयती भूमि स्वत्वधारियों से खरीद कर या पूर्वजों से प्राप्त उत्तराधिकार के आधार पर लम्बे समय से उनके दखल कब्जा में है। प्रश्नगत् स्थल मुहल्ला गंगा सागर (गंगा सागर तालाब) के तालाब एवं रोड के बीच में है, जो रैयती भूमि है तथा अपीलार्थी के दखल कब्जा में है। प्रश्नगत् भूमि खेसरा नं0–902 रैयती भूमि है, जो चतुर्भुज झा के नाम से खतियान में दर्ज है। अपीलकर्त्ता सं0–1 का कथन है कि खेसरा सं0–902 चतुर्भुज झा वगैरह की रैयती जमीन है, जिसमें से हिस्सेदार श्याम जी से 16.03.2001 को विधिवत् विक्रय पत्र पुराना खाता–902 का नया 1296 / 1661 रकबा 01 कट्ठा 08 धुर 50 धुरकी भूमि द्वारा प्राप्त है, जो उनके दखल कब्जा में है। जिसका दाखिल खारिज वाद संख्या–772 / 03–04 है तथा जमाबन्दी नं0–301 तथा लगान रसीद निर्गत है। उक्त स्थल पर विधिवत् नक्शा पास कराकर होल्डिंग नं0–1496 प्राप्त है। अपीलकर्त्ता नं0–02 एवं 03 का कथन है कि उन्हें पूर्वजों से खेसरा 938 की भूमि प्राप्त है, जिसका होल्डिंग नं0–1554 और 1064 है और नगर निगम को टैक्स का भुगतान करते आ रहे हैं। अपीलकर्त्ता नं0–04 का कथन है कि वे निर्मित मकान सहित विक्रय द्वारा डॉ0 सरोज वर्मा से केवाला संख्या–13644 दिनांक 08.11.2007 द्वारा प्राप्त किया गया है। इसमें अतिक्रमण का प्रश्न् ही नहीं है। वे क्रय किये जमीन का नगर निगम का होल्डिंग टैक्स भुगतान करते आ रहे है। अपीलकर्त्ता नं0–05 का कथन है कि पुराना खेसरा 825 नया 1542 निबंधित विक्रय पत्र सं0–6128 दिनांक 16.04.2010 द्वारा प्राप्त	

है, जिसका दाखिल खारिज अपने नाम कराकर अद्यतन होल्डिंग टैक्स भुगतान करते आ रहे हैं। अंचल अमीन बिना नापी के गलत फहमी में अतिक्रमण के रूप में प्रतिवेदन कर दिये हैं।

अपीलकर्त्ता नं0–06 द्वारा बताया गया कि निबंधित विक्रय पत्र दिनांक 23.09.1981 द्वारा जमीन क्रय किया गया है, जिसका जमाबन्दी नं0–314 है, जो अपने नाम, तीन पुत्र के नाम तथा पत्नी के नाम दाखिल खारिज कराकर राजस्व का भुगतान कर रहे हैं। उनके एवं अन्य के नाम खतियान बना है जिसका नया खेसरा 1310 एवं 1311 है। होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। अंचल अमीन बिना नापी का गलत प्रतिवेदन दिये हैं।

अपीलकर्त्ताओं के विद्वान् अधिवक्ता का संक्षेप में कथन है कि गंगासागर पोखर का खेसरा नं0–865 से सटे चारों तरफ अन्य छोटा–छोटा खेसरा नम्बर है, जो उक्त पोखर के चारों ओर अवस्थित सड़क एवं पोखरा के बीच अवस्थित है। पोखरा और सड़क के बीच अवस्थित छोटे–छोटे खेसरा पोखरे के पानभाव में समाहित हो गया है। वास्तव में पोखरा के अंश का अतिक्रमण न होकर सड़क एवं पोखरा के बीच छोटे–छोटे खेसराओं से बना हुआ जिसे अंचल अमीन बिना नापी के गलत फहमी में अतिक्रमण के रूप में प्रतिवेदित की गयी है। इससे स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ताओं द्वारा लोक भूमि के अलावे अन्य रैयती भूमि पर अपना दखल एवं दखल कब्जा बता रही है। अंचल अधिकारी द्वारा लोक भूमि खेसरा नं0–865 बतलाया गया है जिसका निराकरण नापी से ही संभव है।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण तथा बिना अपीलाकर्त्ताओं द्वारा दिये गये साक्ष्यों के विवेचना एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन के बिना पारित किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का आदेश दिनांक21.11.2014 को निरस्त करते हुए अंचल अमीन से नापी प्रतिवेदन के आधार पर यदि अतिक्रमण है तो कार्रवाई की जाये।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि अपर समाहर्त्ता, दरभंगा के पत्रांक 1987/रा0 दिनांक 24.10.2014 के द्वारा दरभंगा शहर के मध्य में अवस्थित ऐतिहासिक तालाब हराही, दिग्घी तथा गंगासागर के विकसित करने हेतु डी0पी0आर0 बनाने हेतु प्राप्त अनुसंशा के आलोक में संबंधित भूमि खेसरा सं0–865 का राजस्व अभिलेख से विवरणी एवं वास्तविक भूमि का नापी किया गया। प्राप्त नापी प्रतिवेदन दिनांक 20.11.2014 के सहज अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि को कुल 48 अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित पाया गया। बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम–1956 के प्रावधान के अनुरूप सभी अतिक्रमणकारियों को प्रपत्र–1 के प्रारूप से सूचना निर्गत की गयी। तद्नुसार सभी अतिक्रमणकारियों द्वारा प्राप्त प्रत्युत्तर अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक 23.12.2014 को सुनवाई की गयी एवं समर्पित प्रत्युत्तर के गहन समीक्षोपरान्त विषयवस्तु की

गंभीरता को सही पाते हुए सभी अतिक्रमणकारियों को प्रपत्र–II प्रारूप में सूचना निर्गत करने का आदेश पारित किया गया।

विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का विशेष रूप से कथन है कि संबंधित तालाब की भूमि खेसरा संख्या–865 है, जबकि अतिक्रमणकारियों द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर प्रायः इस तथ्य का उद्‌बोधन किया गया है कि प्रश्नगत् भूमि खेसरा सं0–865 से उन्हें मतलब नहीं है। अतिक्रमणकारियों का आवासीय भूमि एवं परिसर अन्य भूमि पर अवस्थित है। जबकि अभिलेख पर संधारित मापी प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सभी अतिक्रमणकारी खेसरा नं0–865 की भूमि को ही अतिक्रमित किये हुए हैं। अतः विधि–सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता है।

उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुनने एवं उनके द्वारा दिये गये साक्ष्य/दलील के अनुरूप अभिलेख का गहन अवलोकन किया। अभिलेख पर संधारित तथ्य से स्पष्ट है कि अतिक्रमणकारी जहाँ अपने भूमि की विवरणी प्रस्तुत किये हैं वहीं मापी प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि संबंधित भूमि खेसरा संख्या–865 को उनके द्वारा अतिक्रमित पाया गया है।

अतः सम्यक् रूप से विचारोपरान्त मेरा समाधान है कि अतिक्रमणकारियों का स्वमेय कथन है कि प्रश्नगत् भूमि खेसरा सं0–865 सार्वजनिक तालाब की भूमि है। इस परिस्थिति में अपील को खारिज करते हुए अंचल अधिकारी, सदर दरभंगा को आदेश दिया जाता है कि नापी प्रतिवेदन दिनांक 20.11.2014 के अनुरूप खेसरा सं0–865 की प्रश्नगत् भूमि को यथाशीघ्र अतिक्रमण मुक्त करावें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

20/06/18
समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।